फर्द अहकाम

रामफूल बनाम हनुमान सहाय

[न्या]यालय : सहायक कलक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 33/2023

[..] वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.03.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस करने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी ख0नं0 154, 203, 210, 224, 254, 268, 280, 91 कुल किता 8 कुल रकबा 7.7387 है0 स्थित ग्राम दामोदरपुरा पटवार हल्का टोडाभाटा भू0अ0नि0 दूधली तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 36/2023 उनवान रामफूल बनाम हनुमान सहाय के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	